110

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या —— //I(2)/2012-04(8)-107/2007
देहरादूनः दिनांकः 21 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

वर्तमान नीति में राज्य गठन से पूर्व आवंटित परियोजनाओं के क्षमता वृद्वि हेतु 05 लाख प्रति मे0वा0 प्रीमियम का प्राविधान है जबकि राज्य गठन के उपरान्त निविदा द्वारा आवंटित सभी क्षमताओं के परियोजनाओं से प्राप्त प्रीमियम का औसत लगभग 34 लाख प्रति मे0वा0 आता है। इन परियोजनाओं के क्षमता वृद्वि हेतु एकाएक 34 लाख प्रति मे0वा0 प्रीमियम निर्धारण करना समीचीन प्रतीत नही होता है। सामान्यतः यह भी पाया गया है कि सुगम क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजनाओं का प्रीमियम दुर्गम क्षेत्र की अपेक्षा अधिक प्राप्त हुआ है।

2– अतः जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्वि हेतु लिये जाने वाले प्रीमियम का पुनर्निर्धारण तत्काल प्रभाव से निम्नवत् किया जाता हैः–

(अ) <u>उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व आवंटित परियोजनाओं हेतुः–</u>

(i). परियोजना की बढी हुई क्षमता के लिए 25 लाख/मै0वॉ0 प्रीमियम वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानते हुए विकासकर्ता द्वारा जमा किया जाना तथा उक्त प्रीमियम को प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को पिछले वर्ष के सापेक्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि किया जाना।

(ii). उत्तराखण्ड प्रदेश की प्रचलित नीति के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता हेतु अनुमन्य विद्युत रॉयल्टी में बढी हुई क्षमता के सापेक्ष 3% वृद्धि करते हुए रॉयल्टी लिया जाना। अर्थात् बढी हुई क्षमता पर 12 प्रतिशत रॉयल्टी के स्थान पर 15 प्रतिशत रॉयल्टी तथा 18 प्रतिशत के स्थान पर 21 प्रतिशत रॉयल्टी लिया जाना।

(ब) **<u>उत्तराखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् आवंटित परियोजनाओं हेतुः–</u>**

(i). परियोजना की बढी हुई क्षमता के लिए 25 लाख/मे0वा या योजना आवंटन के समय प्रदत्त अपफ्रन्ट प्रीमियम (प्रति मेगावाट निकालने के बाद) जो अनुबन्ध हेतु दिया गया था, जो भी अधिक हो, को प्रीमियम वर्ष 2012 को आधार वर्ष मानते हुए विकासकर्ता द्वारा जमा किया जाना तथा उक्त प्रीमियम को प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को पिछले वर्ष के सापेक्ष 10 प्रतिशत की वृद्वि किया जाना।

.....2

(ii) उत्तराखण्ड प्रदेश की प्रचलित नीति के अनुसार पुनरीक्षित क्षमता हेतु अनुमन्य विद्युत रॉयल्टी में बढी हुई क्षमता के सापेक्ष 3% वृद्धि करते हुए रॉयल्टी लिया जाना। अर्थात् बढी हुई क्षमता पर 12 प्रतिशत रॉयल्टी के स्थान पर 15 प्रतिशत रॉयल्टी तथा 18 प्रतिशत के स्थान पर 21 प्रतिशत रॉयल्टी लिया जाना।

(स) उत्तराखण्ड गठन से पूर्व एवं पश्चात् आवंटित परियोजनायें आवंटन के समय 25 मे0वा0 से कम क्षमता की हो एवं यदि प्रस्तावित क्षमता वृद्वि के पश्चात 25 मे0वा0 से अधिक हो जाए उस स्थिति में उक्त प्रस्तर (अ) एवं (ब) में प्रस्तावित प्रीमियम एवं रायल्टी ऊर्जा के अतिरिक्त विकासकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड शासन को प्रथम 15 वर्षों में भी 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत देय होगी।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

1381(1)

संख्याः I(2)/2012-04(8)-107/2007, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव –मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन ।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
4– प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को पत्र संख्या 1155/नि0/06 दिनांक 27.07.2012 के क्रम में ।
5– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के आगामी/असाधारण गजट भाग–4 खण्ड–'ख' में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट की 10 मुद्रित प्रतियां जिलाधिकारी, देहरादून तथा 50 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
6– गोपन (मत्रिपरिषद) विभाग उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन ।
8– नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
10– समस्त विकास कर्ता (द्वारा यूजेवीएन लिमिटेड़)।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव